International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 323-324

भारत में साम्प्रदायिकता की राजनीति

जितेन्द्र कुमार
आई.सी.एस.एस.आर. डॉक्टोरल फेलो, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

भारत में राजनीति और धर्म अनादि काल से परस्पर सम्बंधित रहे हैं। धर्म समाज के सदस्यों की भावनाओं से निकटता के जुड़ा होता है। यदि यह पारस्परिक सम्बन्ध किसी धार्मिक समूह के सदस्यों की पहचान बन जाये एवं उस धर्म विशेष के सदस्य मान लें की उनके धार्मिक हित, अन्य धार्मिक समूहों के हितों से भिन्न हैं तब यह साम्प्रदायिकता की भावना कहलाती है परंतु यह उदार साम्प्रदायिकता की भावना है जो कि समाज में धार्मिक संघर्ष को जन्म नहीं देती। इससे भिन्न यदि किसी धार्मिक समूह के सदस्य यह मान लें की अन्य धार्मिक समूहों के हित न सिर्फ उनके हितों से भिन्न हैं अपितु विरोधाभासी भी हैं तब यह उग्र साम्प्रदायिकता की भावना को जन्म देगी। उग्र–साम्प्रदायिकता की भावना ही धार्मिक संघर्ष को जन्म देती है। प्रत्येक वह समाज जहाँ धर्म उपस्थित हो वहां साम्प्रदायिकता एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है परन्तु भारत में उग्र साम्प्रदायिकता एक आधुनिक प्रक्रिया है। इससे पूर्व भी उग्र साम्प्रदायिकता की कुछेक घटनाएँ देखि जाति रही हैं किन्तु वह एक व्यापक प्रक्रिया नहीं थी। उग्र साम्प्रदायिकता ब्रिटिश काल की उत्पत्ति है। 1857 के विरोध के बाद यह स्पष्ट हो गया की यदि हिन्दू और मुस्लमान एकीकृत रहें तब ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के लिए भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना कठिन हो जायेगा अतः अंग्रेजों ने 'फूट डालो और शासन करो' की रणनीति अपनाई। इसके अंतर्गत भारतीय समाज को धर्म के आधार पर विभक्त करने का प्रयास किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत हिन्दुओं और मुस्लिमों को विभाजित रखने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। इसके विरुद्ध जनता को लामबंद करने के उद्देश्य से भारतीय राजनेताओं ने धार्मिक आह्वानों का प्रयोग किया। यह पहली घटना थी जब भारत में राजनीतिक उद्देश्य से धर्म का प्रयोग किया गया। जब भी धर्म और राजनीति का मिश्रण होता है धर्म भयावह रूप धारण करता है जो कि उग्र साम्प्रदायिकता का कारक बन जाता।

कांग्रेस जैसे धर्म निरपेक्ष राजनीतिक दल के प्रभाव को कम करने हेतु अंग्रेजी शासन ने धार्मिक–राजनीतिक दलों जैसे, मुस्लिम लीग एवं हिन्दू महासभा के गठन का समर्थन किया। 1909 के मार्ले मिन्टो सुधार के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया जिसे स्वीकार कर कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से भूल की। 1919 में खिलाफत आन्दोलन एवं इसके परिणाम स्वरुप 1921 में मोपला विद्रोह(केरल) ने हिन्दुओं एवं मुस्लिमों में पहली बार प्रत्यक्ष संघर्ष को दर्शाया। जैसे–जैसे धर्म का हस्तक्षेप राजनीति में बढ़ता गया एवं राजनीतिक उद्देश्य से धर्म का प्रयोग बढ़ा, उसी प्रकार देश में उग्र साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला। 1933 में चौधरी रहमत अली द्वारा प्रस्तावित पाकस्तान की अवधारणा जो कि पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के समीकरण से उत्पन्न एक पृथक देश की संकल्पना थी, प्रथम बार भारत के विभाजन की सम्भावना को उजागर किया। 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग के निराशाजनक प्रदर्शन ने जिन्ना को उग्र बनाया तत्पश्चात उन्होंने ने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का व्यापक प्रयोग प्रारंभ किया। 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से संघर्ष एवं देश के विभाजन ने अंततः उग्र–साम्प्रदायिकता की जन्म दिया।

स्वतंत्रता उपरांत भारत में साम्प्रदायिकता का प्रयोग राजनीतक हितों की पूर्ति हेतु प्रारंभ हुआ। भारतीय राजनेताओं के द्वारा आजादी के पूर्व के अनुभवों को भुला दिया गया। प्रो. मोरिस जोंस के अनुसार, 'यदि साम्प्रदायिकता को संकुचित अर्थ में लिया जाये अर्थात कुछ राजनीतिक दल किसी विशेष पंथिक समुदाय के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए बने है तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो स्पष्ट रूप से अपने को साम्प्रदायिक कहते हैं...।' साम्प्रदायिक राजनीति के दृष्टिकोण से स्वतंत्र भारत को दो कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है – भारत 1950 से 1990 का कालखंड और 1990 के बाद का कालखंड। प्रथम कालखंड में, भारत में एकदलीय राजनितिक व्यवस्था थी और कांग्रेस के सामने अन्य राजनीतिक दल, चुनावों के दौरान सीमित महत्व रखते थे। इस दौरान भी साम्प्रदायिक राजनीति होती रही और विभिन्न प्रान्तों में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक हिंसा हुई। इस समय साम्प्रदायिक हिंसा का प्रमुख कारण, स्वतंत्रता पूर्व की विभाजनकारी राजनीति में निहित था जिसके कारण छोटे–छोटे हित समूह इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित करते थे। द्वितीय कालखंड में, भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था का उभार हुआ और सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा विविध माध्यमों का प्रयोग किया गया, जिसमे साम्प्रदायिकता प्रमुख थी। प्रायः सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका प्रयोग न्यूनाधिक रूप में किया गया।

गृह मन्त्रालय की 1998–99 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1998–99 में साम्प्रदायिक हिंसा की 626 वारदातें हुई जिनमें 207 व्यक्तियों की जानें गईं और 2,065 व्यक्ति जख्मी हुए जबकि वर्ष 1997–98 में 725 वारदातें हुई जिनके परिणामस्वरूप 264 व्यक्तियों की जानें गईं और 2,503 व्यक्ति जख्मी हुए। लगभग 90 प्रतिशत साम्प्रदायिक बारदातें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में हुई थीं।

गृह मन्त्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1998–99 में घटित कुछ मामले अपराधजनित थे, लेकिन यह केवल इत्तेफाक ही था कि पीड़ित व्यक्ति ईसाई थे। कुछ मामलों में यह हमले जानबूझकर किए गए तथा कायरतापूर्ण थे, जैसा कि उड़ीसा में ग्राहम स्टीवर्ट स्टेन्स तथा उनके दो पुत्रों को जिन्दा जला देने की घटना से स्पष्ट होता है। गुजरात एवं उड़ीसा में ईसाइयों और उनके संस्थानों पर हुए हमलों को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रमुखता मिली और इससे उपयुक्त निवारक कार्यवाही करने में राज्य सरकारों की असफलता की तीव्र आलोचना हुई। गृह मन्त्रालय की 2001–02 की वार्षिक

रिपोर्ट के अनुसार, ''28 फरवरी और 1 मार्च, 2002 को गुजरात में बड़े स्तर पर साम्प्रदायिक हिंसा हुई। यह हिंसा 2 फरवरी, 2002 को गोधरा के हत्याकाण्ड के कारण हुई जिसमें 58 व्यक्ति जिन्दा जला दिए गऐ थे हिंसा गुजरात के अनेक शहरों में फैल गई थी। 18 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार पुलिस ने हिंसा को रोकने के लिए 6,067 राउण्ड फायर किए, 8,929 आंसू गैस के गोले छोड़े और 9,960 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गुजरात में कुल 692 लोगों के मारे जाने की सूचना है जिसमें पुलिस फायरिंग में मारे गए 109 व्यक्ति शामिल हैं।

गृह मन्त्रालय की 2005–06 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 के दौरान देश में 779 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई जिनमें 124 जानें गयीं और 2,066 व्यक्ति घायल हुएः इससे पूर्व के वर्ष में देश में 640 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं जिनमें 129 व्यक्ति मारे गए और 2,022 व्यक्ति घायल हुए थे। जनवरी–दिसम्बर 2010 के दौरान देश में 658 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई जिनमें 119 व्यक्ति मारे गए और 2,342 घायल हुए। वर्ष 2009 के दौरान देश में (महाराष्ट्र में एक दंगे सहित) 750 हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिक घटनाएं तथा 76 हिन्दू–ईसाई साम्प्रदायिक घटनाएं घटित हुई जिनमें क्रमशः 123 एवं 02 लोग मारे गये, 2,380 और 44 लोग घायल हुए जबकि वर्ष 2010 में 610 हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिक घटनाएं तथा 48 हिन्दू–ईसाई साम्प्रदायिक घटनाएं घटित हुई जिनमें क्रमशः 109 एवं 02 लोग मारे गए और 1963 एवं 08 लोग घायल हुए। वर्ष 2011 के दौरान देश में 580 तथा वर्ष 2012 के दौरान 668 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं। जिसमें क्रमशः 91 तथा 94 व्यक्ति मारे गए एवं 1,899 एवं 3,117 व्यक्ति घायल हुए।

केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते एक दशक 2002–2012 के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा की 8,473 घटनांए हुई। इनमें 2,502 लोग मारे गए और 26,668 लोग घायल हुए। हाल ही में 2013 मुजफ्फरनगर जिले में हुए हिन्दू–मुस्लिम दंगे में मरने वालों की संख्या 62 के पार पहुंच गई और इन दंगों ने एक दशक पहले गुजरात के दंगों और 1992 में बाबरी मस्जिद आन्दोलन के दौरान हुई हिंसा की यादें ताजा कर दीं। मार्च–अप्रैल, 2018 में पश्चिम बंगाल और बिहार में साम्प्रदायिक हिंसा और लोगों का अपने आवास स्थलों को छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाना इसके भयावह स्वरुप की और संकेत करता है।

यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात हमने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया किन्तु एक निरक्षर समाज देश में सक्रिय राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक मानदंडों एवं मूल्यों के प्रचार–प्रसार में असमर्थ रहे। लोकतान्त्रिक व्यवस्था ने भारत में नव–परम्परावाद को जन्म दिया। एक आधुनिक व्यवस्था को भारत में पारंपरिक प्रारूप प्रदान किया गया। मुद्दों पर आधारित राजनीति के अभाव में जाति, धर्म, क्षेत्र जैसे पारंपरिक आधारों ने हमारे मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। अतः आजादी के उपरांत भी भारतीय राजनेताओं ने राजनीतिक उद्देश्य से धर्म का निरंतर प्रयोग किया है।

साम्प्रदायिक राजनीति हमारे सामाजिक–राजनीतिक मूल्यों को नष्ट कर दे इससे पूर्व कतिपय प्रयास करने होंगे, इस परिप्रेक्ष्य में निम्नवत सुझाव दिए जा सकते हैं

- सरकार के स्तर पर विभिन्न समुदायों के मध्य आपसी वैमनस्य को दूर करने हेतु मिश्रित–सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को बढ़ावा दिया जाये जिससे वे एकदूसरे के रीतिरिवाजों, परम्पराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को समझ सकें।
- सरकार के द्वारा संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए किसी धार्मिक समुदाय को संरक्षण नही दिया जाना चाहिए और न ही ऐसा उपक्रम करने वाले लोगों को प्रश्रय दिया जाना चाहिए।
- साम्प्रदायिक हिंसा में संलिप्त आराजक तत्वों से विधिसंगत तरीके से निपटा जाना चाहिए और इस प्रकार के कृत्यों में शामिल होने की पुष्टि होने पर सम्बंधित व्यक्ति को चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।
- नागरिक समाज के द्वारा उपर्युक्त समस्या के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए।
- शैक्षिक पाठ्यक्रमों में विविध धर्मों के सार–तत्वों को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी साम्प्रदायिक उग्रता की भावना से ग्रसित न हो।

सन्दर्भ सूची

1. दि सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी : अतुल कोहली।
2. इलेक्शन इन इण्डिया : आर. पी. भल्ला।
3. भारत का सविधान : सुभाष कश्यप।
4. रिलीजन, कास्ट एंड पालिटिक्स इन इण्डिया : क्रिस्टोफ जफरलोट।
5. इण्डिया एट द पोल्स पार्लियॉमेंन्ट्री इलेक्शन इन द फेडरल फेज : एम् पी सिंह एंड रेखा सक्सेना।
6. भारत में राजनीतिक प्रक्रियायें सम्पादक : बी एन चौधरी।
7. लोकतंत्र के सात अध्याय, सम्पादक : अभय कुमार दुबे।
8. लोकसभा चुनाव : गणित एवं निहितार्थ में प्रतिमान, राहुल वर्मा एवं नरेश गोस्वामी।
9. पॉलिटिक्स इन इंडिया : रजनी कोठारी।
10. वोटिंग बिहेविअर इन चेंजिंग सोसाइटी : एस.पी वर्मा एंड इकबाल नारायण।
11. कोठारी, रजनी रू कम्यूनलिज्म इन इण्डियन पॉलिटिक्स, रैनबो पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1998।
12. वार्षिक रिपोर्ट, 1998–99, भारत सरकार – गृह मन्त्रालय, पृ0 6।
13. वार्षिक रिपोर्ट, 1998–99, भारत सरकार – गृह मन्त्रालय, पृ0 6–7।
14. वार्षिक रिपोर्ट, 2001–02, भारत सरकार – गृह मन्त्रालय, पृ0 2।
15. वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06, भारत सरकार – गृह मन्त्रालय, पृ0 120।
16. वार्षिक रिपोर्ट, 2010–11, भारत सरकार – गृह मन्त्रालय, पृ0 92।